

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

पत्र संख्या :- नौएडा/वरि0न0नि0/11/ III-255/475
दिनांक :- 25.11.11

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड
सैक्टर - 128, नौएडा

विषय:- पाकेट सं0 बी - 4, (पी.टी.-1 एवं 2 पी.एच. 1,2,3,4 एवं टी.एच. 1 एवं 2) सैक्टर -128 नौएडा के पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कार्यदायी संस्था मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड को कन्शेसन एग्रीमेन्ट के तहत सेक्टर-128,129,131,133 एवं 134 में हस्तन्तरित कुल भूमि के सापेक्ष में कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं0 बी-4 (पी.टी.-1 एवं 2 पी.एच. 1,2,3,4 एवं टी.एच. 1 एवं 2) के पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु पुनर्वैधीकरण शुल्क रू0 14,22,040/- चालान सं0 706362 के द्वारा दिनांक 18.10.2011 को जमा कराये गये है। पुनर्वैधीकरण शुल्क एवं समीति की संस्तुती के आधार पर मानचित्रों को पाँच वर्ष के लिए पुनर्वैधीकृत किया जाता है। इस पत्र के साथ मानचित्रों की एक पुनर्वैधीकृत प्रति संलग्न है।

- कार्यदायी संस्था को उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

कुल आच्छादित क्षेत्रफल तहखाना एवं सेवा सहित

= 4,06,297.235 वर्ग मीटर

संलग्न:- पुनर्वैधीकृत मानचित्रों की एक प्रति।

प्रतिलिपि: विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) को सूचनार्थ।

Map for ~~Proposed~~ Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval, please.

Pl. Assn. Architect

भवदीय

(राजपाल कौशिक)
मुख्य वास्तुविद् नियोजक
नौएडा

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद् नियोजक
नौएडा

पत्रावली संख्या - III- 255

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

पत्र संख्या :- नौएडा/वरि०न०नि०/११/ III-255/475
दिनांक :- 25.11.11

सेवा में,
मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड
सेक्टर - 128, नौएडा

विषय:- पाकेट सं० बी - 4, (पी.टी.-1 एवं 2 पी.एच. 1,2,3,4 एवं टी.एच. 1 एवं 2) सेक्टर -128 नौएडा के पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कार्यदायी संस्था मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड को कन्शेसन एग्रीमेन्ट के तहत सेक्टर-128,129,131,133 एवं 134 में हस्तान्तरित कुल भूमि के सापेक्ष में कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं० बी-4 (पी.टी.-1 एवं 2 पी.एच. 1,2,3,4 एवं टी.एच. 1 एवं 2) के पूर्व स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु पुनर्वैधीकरण शुल्क रू० 14,22,040/- चालान सं० 706362 के द्वारा दिनांक 18.10.2011 को जमा कराये गये है। पुनर्वैधीकरण शुल्क एवं समीति की संस्तुती के आधार पर मानचित्रों को पाँच वर्ष के लिए पुनर्वैधीकृत किया जाता है। इस पत्र के साथ मानचित्रों की एक पुनर्वैधीकृत प्रति संलग्न है।

- कार्यदायी संस्था को उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

कुल आच्छादित क्षेत्रफल तहखाना एवं सेवा सहित = 4,06,297.235 वर्ग मीटर

संलग्न:- पुनर्वैधीकृत मानचित्रों की एक प्रति।

प्रतिलिपि: विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) को सूचनार्थ।

Map for ~~Proposed~~ Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval, please.

Pl. Asstt. Architect

भवदीय

(राजपाल कौशिक)
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा